

सेवा में

माननीय अध्यक्ष महोदय  
हरियाणा विधानसभा  
चंडीगढ़


विषय : हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73 के तहत CET के तहत युवाओं द्वारा विभिन्न समस्याओं से जूझने बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

महोदय जी,

आज हरियाणा राज्य बेरोजगारी का हब बन गया है। CMIE के जनवरी 2023 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी की दर 37.4% है। 11,22,000 युवाओं ने CET की दरखास्त दी थी और पब्लिक डोमेन में 3,59,146 पास का रिजल्ट दिखाए गए। हालाँकि सरकार ने हाई कोर्ट व HSSC में 2,92,000 उत्तीर्ण बताये गए हैं। इस समय राज्य में लगभग 2,00,000 पद विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े हैं। काफी समय से कोई बढ़ी भर्ती नहीं की गई है। CET से युवाओं का शोषण किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय CET को उत्तीर्ण करने वालों को एडवर्टाईज पोस्ट के चार गुना उम्मीदवारों को बुलवाया जायेगा जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह संख्या 15 गुना है और भारत सरकार में CET होता ही नहीं। अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग CET होना चाहिए, सोसिओ इकनोमिक (socio economic) केटेगरी में SEC के अंक हटाने के लिए दरखास्त दी थी पर अंक हटाये नहीं गए और जिन्होंने लगाने को दरखास्त भेजी उनके अंक लगे नहीं। जिनके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है उन्हें अतिरिक्त 5 अंक दिए जाते हैं और दूसरी तरफ उम्मेदवार के स्वयं के तजुर्बे के 5 अंक तक दिए जाते है जोकि आपस में विरोधात्मक है। 2021 में ग्राम सचिव का पेपर लीक होने पर उसे CET में दे दिया गया।

अतः अध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुरोध करती हूँ की इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री सदन में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे स्पष्ट हो कि एक समयबद्ध तरीके से इन पदों को भरा जायेगा।



(किरण चौधरी)  
विधायक - तोशाम